खास-खबरें

पोहा लेने उतरा यात्री चलती ट्रेन में चढ़ते समय पटरी और प्लेटफॉर्म के बीच फंसा



नईदुनिया, प्रतिनिधि, उज्जैनः उज्जैन रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर-1 पर बुधवार दोपहर बड़ा हादसा टल गया। काचीगुड़ा एक्सप्रेस में सवार एक यात्री नाश्ता लेने के लिए नीचे उतरा था। इसी दौरान ट्रेन चल पड़ी और जल्दबाजी में चढ़ने की कोशिश करते समय उसका पैर फिसल गया। यात्री चलती ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच फंस गया। मौके पर मौजूद आरपीएफ जवान की तत्परता से उसकी जान बच गई। घटना दोपहर करीब 1:27 बजे की बताई गई है। ट्रेन उज्जैन से भोपाल की ओर रवाना हो रही थी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार यात्री पोहा लेने के लिए ट्रेन से नीचे उतरा था। हाथ में नाश्ता लेकर वह अपने डिब्बे की ओर दौड़ा और चलती ट्रेन का हत्था पकड़कर चढ़ने की कोशिश करने लगा। इसी दौरान संतुलन बिगड़ने से उसका पैर फिसल गया और वह प्लेटफॉर्म तथा ट्रेन के बीच जा फंसा। यात्री कमर तक नीचे चला गया था। घटना देखकर स्टेशन पर मौजूद लोग सहम गए। मौके पर तैनात आरपीएफ जवान रामचरण यादव ने यात्री को फंसा देखा तो तत्काल उसकी मदद के लिए दौड़े। उन्होंने एक अन्य नागरिक के सहयोग से यात्री को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। जवान की तत्परता से एक बड़ा हादसा टल गया। सहायक सुरक्षा आयुक्त राजीव उपाध्याय ने जवान की मुस्तैदी की सराहना की। उन्होंने बताया कि ट्रेन रवाना होने के समय आरपीएफ जवानों को प्लेटफॉर्म पर विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए जाते हैं।

एडीएम कार्यालय का बाबू गिरफ्तार

उज्ज्वला योजना की फर्जीवाड़े वाली फाइल दबाने के लिए मांगी रिश्वत

20 हजार रुपये लेते लोकायुक्त ने रंगे हाथों पकड़ा, 50 हजार में तय हुआ था सौदा

नईदुनिया प्रतिनिधि, उज्जैनः उज्जैन कलेक्ट्रेट स्थित एडीएम कार्यालय में लोकायुक्त पुलिस ने गुरुवार को कार्रवाई करते हुए बाबू रोहित गोठवाल को 20 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आरोपी ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में कथित फर्जीवाड़े से जुड़ी फाइल आगे बढ़ाने और मामले का निराकरण करने के एवज में 50 हजार रुपये की रिश्वत मांगी थी। शिकायत मिलने पर लोकायुक्त टीम ने जाल बिछाकर पहली किश्त लेते हुए उसे पकड़ लिया।

मामला नागदा के बिरलाग्राम का है। शिकायतकर्ता ब्रजेश विश्वकर्मा ने कलेक्ट्रेट की जनसुनवाई में शिकायत की थी कि उनकी माताजी के दस्तावेजों का कथित तौर पर अनधिकृत उपयोग कर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का गैस कनेक्शन किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर जारी कर दिया गया। आरोप है कि इस कनेक्शन पर 14 सिलेंडर भी वितरित किए गए, जबकि उनकी माताजी योजना के लाभ से वंचित रहीं।

खाद्य विभाग ने मामले की जांच पूरी कर रिपोर्ट एडीएम कार्यालय भेजी थी। शिकायतकर्ता के अनुसार, रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई का प्रतिवेदन तैयार करने और फाइल आगे बढ़ाने के लिए बाबू रोहित गोठवाल ने रिश्वत की मांग की। सौदा 50 हजार रुपये में तय हुआ और गुरुवार को पहली किश्त के रूप में 20 हजार रुपये देना निर्धारित किया गया।

लगातार परेशान होने के बाद ब्रजेश विश्वकर्मा ने 29 अक्टूबर 2026 को लोकायुक्त पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार दीक्षित के समक्ष लिखित शिकायत दर्ज कराई। लोकायुक्त टीम ने शिकायत का गोपनीय सत्यापन कराया, जिसमें रिश्वत मांगने की बात सामने आने के बाद निरीक्षक दीपक शेजवार के नेतृत्व में ट्रैप दल गठित किया गया।

कार्रवाई के दौरान आरोपी ने रिश्वत की रकम सीधे हाथ में लेने के बजाय शिकायतकर्ता से रुपये दराज में रखवा लिए। लोकायुक्त टीम ने मौके पर कार्रवाई करते हुए रासायनिक परीक्षण और अन्य साक्ष्यों के आधार पर उसे पकड़ लिया। आरोपी के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर वैधानिक जांच शुरू कर दी गई है।

दराज में रखवाई रकम, लोकायुक्त ने पकड़ाः लोकायुक्त पुलिस के अनुसार, आरोपी ने रिश्वत की रकम अपने हाथों से लेने के बजाय दराज में रखवाई थी। हालांकि, टीम ने मौके पर साक्ष्य जुटाकर कार्रवाई की। 29 अक्टूबर को शिकायत मिलने के बाद गुरुवार को एडीएम कार्यालय में ट्रैप कार्रवाई की गई। घटना के बाद कलेक्ट्रेट परिसर में प्रशासनिक अमले के बीच हलचल रही।

दस्तावेजों पर कनेक्शन, 14 सिलेंडर वितरित होने का आरोप



शिकायत के अनुसार, शिकायतकर्ता की माताजी के दस्तावेजों का उपयोग कर किसी अन्य व्यक्ति को उज्ज्वला योजना का कनेक्शन जारी किया गया था। उस कनेक्शन पर 14 सिलेंडर वितरित किए जाने की बात भी सामने आई है। शिकायतकर्ता की माताजी को अब तक योजना का लाभ नहीं मिला। खाद्य विभाग की जांच रिपोर्ट के बाद कार्रवाई आगे बढ़ाने के लिए रिश्वत मांगे जाने का आरोप है।

महाकाल मंदिर में अखाड़ा परिषद अध्यक्ष की झोली की तलाशी पर विवाद



नईदुनिया प्रतिनिधि, उज्जैनः विश्व प्रसिद्ध महाकाल मंदिर में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रवींद्र पुरी की झोली की तलाशी लिए जाने का मामला तूल पकड़ने लगा है। महंत ने मंदिर कर्मचारियों पर दुर्व्यवहार और संतों को प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए भोपाल से लेकर दिल्ली तक शिकायत करने की चेतावनी दी है। मामले की जानकारी मिलने पर उज्जैन विकास प्राधिकरण अध्यक्ष रवि सोलंकी ने उनके आश्रम पहुंचकर घटना की जानकारी ली और मंदिर प्रशासक प्रथम कौशिक से फोन पर चर्चा की।

महंत रवींद्र पुरी के अनुसार, बाबा महाकाल के दर्शन के दौरान प्रवेश द्वार पर तैनात कर्मचारियों ने चेकिंग के नाम पर उनकी झोली की तलाशी ली। उन्होंने इस व्यवहार पर आपत्ति जताते हुए आरोप लगाया कि मंदिर में कुछ कर्मचारी साधु-संतों के साथ लगातार अभद्रता कर रहे हैं। उनका कहना है कि सुरक्षा व्यवस्था के नाम पर संतों की गरिमा और धार्मिक परंपराओं का ध्यान रखा जाना चाहिए।

घटना की जानकारी मिलने पर रवि सोलंकी बड़नगर रोड स्थित आश्रम पहुंचे और महंत से मुलाकात की। वहां मौजूद लोगों से जानकारी लेने के बाद उन्होंने मंदिर प्रशासक प्रथम कौशिक को फोन किया। सोलंकी ने मंदिर में बढ़ती अव्यवस्थाओं और संतों से दुर्व्यवहार की शिकायतों पर नाराजगी जताते हुए लापरवाह कर्मचारियों पर कार्रवाई करने को कहा।

महंत रवींद्र पुरी ने चेतावनी दी कि यदि संबंधित कर्मचारियों के व्यवहार में सुधार नहीं हुआ और कार्रवाई नहीं की गई, तो मामले की लिखित शिकायत मुख्यमंत्री तथा दिल्ली में केंद्रीय नेतृत्व से की जाएगी। उन्होंने आगामी सिंहस्थ महापर्व को देखते हुए मंदिर की व्यवस्थाएं सुधारने की मांग भी की।

आतिशबाजी मार्केट में आग से आधा दर्जन दुकानें प्रभावित

नईदुनिया प्रतिनिधि, गंजबासौदाः नगर के मेला ग्राउंड में दीपावली के लिए लगाए गए आतिशबाजी मार्केट में गुरुवार शाम करीब 6:30 बजे आग लगने से अफरा-तफरी मच गई। घटना में करीब आधा दर्जन दुकानें प्रभावित हुईं और तीन दोपहिया वाहन क्षतिग्रस्त होने की जानकारी सामने आई है। राहत की बात रही कि कोई व्यक्ति घायल नहीं हुआ।



प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, शाम को अचानक पटाखों की आवाजें और तेज रोशनी दिखाई देने लगी। इससे लोगों को मेला ग्राउंड स्थित आतिशबाजी मार्केट में आग लगने की आशंका हुई। घटना की जानकारी मिलते ही कलेक्टर अंशुल गुप्ता मौके पर पहुंचे और प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण किया। उनके पहुंचने से पहले एसडीएम और एसडीओपी घटनास्थल पर पहुंच चुके थे।

बताया गया कि दुकानदारों ने सूझबूझ दिखाते हुए जोखिम उठाकर आसपास की दुकानों को हटाया, जिससे आग के फैलने और बड़े हादसे की आशंका कम हुई। कुछ देर के लिए वहां भगदड़ जैसी स्थिति बनी। घटना के बाद बिजली बंद कर दी गई, जिससे परिसर में अंधेरा छा गया और दुकानदार इधर-उधर भागते नजर आए। दुकानदारों ने आरोप लगाया कि दमकल वाहन देर से पहुंचा और घटनास्थल पर तत्काल उपलब्ध नहीं था। आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल सका है।

आतिशबाजी मार्केट के शहर के बीच और बस स्टैंड के नजदीक होने पर नागरिकों ने चिंता जताई है। उनका कहना है कि यहां दिनभर यात्रियों और लोगों की भीड़ रहती है, ऐसे में आतिशबाजी की दुकानें लगाना जोखिमपूर्ण है।

कलेक्टर अंशुल गुप्ता ने पत्रकारों से कहा कि प्रभावित दुकानदारों को उचित सहायता दी जाएगी। भविष्य में आतिशबाजी की दुकानें लगाने के लिए सुरक्षित स्थान का विशेष ध्यान रखा जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को मौजूदा स्थिति में भी आवश्यक एहतियात बरतने के निर्देश दिए हैं।

नवांकुर विद्यापीठ में विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित

गंजबासौदा। नवांकुर विद्यापीठ के डॉल्फिन कैंपस में विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें बच्चों के अधिकार, ऑनलाइन सुरक्षा, साइबर उत्पीड़न और निशुल्क विधिक सहायता सहित विभिन्न विषयों पर परिचर्चा हुई। इस अवसर पर तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड गंजबासौदा कपिल देव, अभिभाषक संघ अध्यक्ष अमान सिंह राजपूत, अधिवक्ता कमाल पाशा माथुर, सुनील भावसार और सुनील राजपूत उपस्थित रहे। विद्यालय के निर्देशक शैलेंद्र दीक्षित, डॉल्फिन प्राचार्य संदीप जेटली, नवांकुर प्राचार्य संदीप रावत तथा आरक्षक धर्मेंद्र आदि मौजूद रहे।

शोक संवेदना व्यक्त करने जैत पहुंचे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्यप्रदेश सरकार के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत, जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट एवं विधायक प्रभुराम चौधरी के साथ केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की पूज्य माताजी के निधन पर उनके गृहग्राम जैत पहुंचकर पुष्पांजलि अर्पित की और भावभीनी श्रद्धांजलि दी। इस दौरान सभी जनप्रतिनिधियों ने शोकाकुल चौहान परिवार से मुलाकात कर गहरी संवेदनाएं व्यक्त कीं तथा इस कठिन समय में परिवार को संबल प्रदान किया।



वहीं, भोपाल में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और खाद्य मंत्री गोविंद सिंह राजपूत कैबिनेट मंत्री चैतन्य कश्यप के निवास पहुंचे। यहां उन्होंने उनकी पूज्य माताजी के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की और शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदनाएं प्रकट कीं।

कॉलेज मैदान स्थित पटाखा बाजार का अधिकारियों ने किया निरीक्षण



नईदुनिया प्रतिनिधि, मंदसौरः दीपावली पर्व को देखते हुए शहर के कॉलेज मैदान स्थित पटाखा बाजार का प्रशासनिक अधिकारियों ने निरीक्षण किया। इस दौरान एसडीएम, सीएसपी, वाय.डी. नगर टीआई सहित अधिकारियों की टीम मौजूद रही। टीम ने बाजार में दुकानों की व्यवस्था और सुरक्षा इंतजामों का जायजा लिया।

निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने दुकानों के बीच निर्धारित दूरी, अग्निशमन यंत्रों की उपलब्धता, पानी की व्यवस्था और सुरक्षा मानकों की जांच की। दुकानदारों को निर्देश दिए गए कि वे सभी सुरक्षा नियमों का सख्ती से पालन करें और किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतें।

सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष जोरः अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि पटाखा बाजार में सुरक्षा से संबंधित नियमों का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सभी दुकानदारों को दुकानों के पास बालू, पानी और अग्निशमन यंत्र अनिवार्य रूप से रखने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही भीड़भाड़ वाले क्षेत्र में वाहनों की आवाजाही और पार्किंग व्यवस्था को व्यवस्थित रखने पर भी जोर दिया गया। प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि दीपावली पर पटाखे चलाते समय सावधानी बरतें। बच्चों को पटाखे चलाते समय अकेला न छोड़ें और सुरक्षित दूरी बनाए रखें। अधिकारियों ने नागरिकों से सुरक्षा नियमों का पालन करते हुए सुरक्षित दीपावली मनाने की अपील की।

ऑनलाइन अटेंडेंस पोर्टल की तकनीकी खामी से शिक्षक परेशान

नईदुनिया प्रतिनिधि, भैरूंदाः प्रदेश के कई शासकीय विद्यालयों में गुरुवार को ऑनलाइन अटेंडेंस पोर्टल में तकनीकी गड़बड़ी के कारण नियमित और अतिथि शिक्षकों की उपस्थिति दर्ज नहीं हो सकी। शिक्षक निर्धारित समय पर विद्यालय पहुंचे और ड्यूटी निभाई, लेकिन पोर्टल में अपग्रेडेशन, गेटवे और नेटवर्क संबंधी त्रुटियों के कारण उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ा। इससे बिना गलती के वेतन या मानदेय कटने की आशंका बनी हुई है।

शिक्षकों के अनुसार, नियमित शिक्षकों के लिए फोटो अपलोड जैसे वैकल्पिक विकल्प उपलब्ध हैं, लेकिन अतिथि शिक्षकों के लिए ऐसी प्रभावी व्यवस्था नहीं है। ऐसे में तकनीकी खराबी का असर उनकी उपस्थिति और मानदेय पर पड़ सकता है। शिक्षकों ने सरकार और स्कूल शिक्षा विभाग से मांग की है कि पोर्टल नहीं चलने की स्थिति में वैकल्पिक व्यवस्था लागू की जाए। उनका कहना है कि संबंधित दिन प्रधानाध्यापक वास्तविक उपस्थिति प्रमाणित करें और उसी आधार पर वेतन भुगतान सुनिश्चित किया जाए। इसके लिए प्रधानाध्यापक की लॉगिन आईडी में छूटी हुई उपस्थिति प्रमाणित करने का विकल्प देने की मांग भी की गई है।

शिक्षकों ने यह भी कहा कि पोर्टल का अपग्रेडेशन और तकनीकी मेंटेनेंस विद्यालय संचालन के दिनों के बजाय अवकाश में किया जाना चाहिए, ताकि शिक्षण कार्य प्रभावित न हो।

शिक्षकों का कहना है कि 5 नवंबर को तकनीकी कारणों से जिनकी उपस्थिति दर्ज नहीं हो सकी, उनका प्रधानाध्यापक से सत्यापन कर वेतन सुरक्षित किया जाए।

कार्तिक एकादशी पर बेतवा घाट में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़

गंजबासौदा। कार्तिक मास की एकादशी पर गुरुवार को बेतवा नदी स्थित रिपटा घाट पर श्रद्धालुओं की भीड़ रही। सुबह पांच बजे से ही श्रद्धालु नदी में स्नान करने पहुंचने लगे थे। सबसे अधिक संख्या महिला श्रद्धालुओं की रही। सूर्योदय से पहले ही श्रद्धालुओं ने स्नान, पूजन और दीपदान किया। इसके बाद पंडित भागीरथ शास्त्री के सानिध्य में भगवान शिव का अभिषेक किया गया। बेतवा घाट पर एक हजार मंत्रों के जप के साथ मां बेत्रवती का तुलसी अर्चन भी हुआ। धार्मिक अनुष्ठान में श्रद्धालुओं ने भाग लेकर पूजा-अर्चना की।

भगवान श्रीकृष्ण के संबंध में कथित आपत्तिजनक टिप्पणी पर यादव समाज में भारी आक्रोष व्याप्त

नईदुनिया प्रतिनिधि, सीहोरः करेरा, उत्तर प्रदेश में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान पं. धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री द्वारा भगवान श्रीराम एवं भगवान श्रीकृष्ण की तुलना के दौरान भगवान श्रीकृष्ण के संबंध में कथित रूप से दिए गए आपत्तिजनक एवं भड़काऊ वक्तव्य के विरोध में अखिल भारत वर्षीय यादव महासभा जिला सीहोर ने थाना कोतवाली पहुंचकर शिकायत आवेदन सौंपा। समाजजनों ने मामले की निष्पक्ष जांच कर संबंधित के विरुद्ध प्रचलित कानून के अनुसार कार्रवाई एवं एफआईआर दर्ज करने की मांग की है।



अखिल भारत वर्षीय यादव महासभा जिला सीहोर के अध्यक्ष घनश्याम यादव के नेतृत्व में बड़ी संख्या में यादव समाज के सदस्य थाना कोतवाली पहुंचे। शिकायत आवेदन में बताया गया कि करेरा में आयोजित कार्यक्रम के दौरान भगवान श्रीराम एवं भगवान श्रीकृष्ण की तुलना करते हुए भगवान श्रीकृष्ण के संबंध में कथित रूप से ऐसे शब्दों एवं वक्तव्यों का प्रयोग किया गया, जिससे यादव समाज सहित भगवान श्रीकृष्ण में आस्था रखने वाले करोड़ों लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं।

समाजजनों ने कहा कि भगवान श्रीकृष्ण केवल यादव समाज ही नहीं, बल्कि देश और विश्व के करोड़ों लोगों की आस्था एवं श्रद्धा के केंद्र हैं। उनके संबंध में किसी भी प्रकार की अपमानजनक अथवा भड़काऊ टिप्पणी से धार्मिक एवं सामाजिक तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इस घटना को लेकर यादव समाज में गहरा रोष व्याप्त है।

इस अवसर पर प्रमुख रूप से उमेश यादव, गेंदालाल यादव, धर्मेंद्र यादव, गब्बर पहलवान, तारा यादव, गोपाल यादव, रमेश यादव, सूरज यादव, चुन्नीलाल यादव, सुनील यादव, नीरज यादव, लक्ष्मण यादव एवं विजय यादव सहित बड़ी संख्या में यादव समाजजन उपस्थित रहे।

पंजाब नैशनल बैंक punjab national bank

मंडल कार्यालय : झर्रा तिकुरिया प्रथम मंजिल, आस्था प्लाज़ा, , कटनी – 483501 (म.प्र.) ईमेल – coktnsamd@pnb.bank.in

अचल संपत्ति के विक्रय हेतु विक्रय नोटिस

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) एवं 9(1) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल आस्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय नोटिस

आम जनता को और विशेष रूप से उधारकर्ताओं और जमानतदारों/बंधककर्ताओं को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्तियां जो प्रतिभूत लेनदार के पास बंधक/प्रभारित है, का प्रलक्षित/वास्तविक आधिपत्य/सांकेतिक आधिपत्य (इनमें से जो भी लागू होता हो) प्रतिभूत लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को ''जो है'', ''जहाँ है'', ''जो कुछ भी है'' के आधार पर निम्नलिखित उधारकर्ताओं एवं जमानतदारों/बंधककर्ताओं से बैंक/प्रतिभूत लेनदार की निम्नलिखित रुपये की बकाया राशि की वसूली हेतु नीचे वर्णित दिनांक को बेचा जाएगा। आरक्षित मूल्य एवं अग्रिम धनराशी निम्नलिखित है:

ई-नीलामी दिनांक एवं समय –26.11.2026 सुबह 11:00 बजे से 05:00 बजे तक (आवश्यक होने पर सायंकल 05:00 बजे के बाद 10 मिनिट के अंतराल का विस्तार किया जाएगा)। ईएमडी जमा करने की अंतिम दिनांक 25.11.2026

उधारकर्ता/जमानतदार/बंधककर्ता के नाम	अचल संपत्ति/प्रत्याभूत आस्ति का विवरण	अ) मांग सूचना दिनांक ब) आधिपत्य दिनांक स) आधिपत्य प्रकार द) बकाया राशि (मांग सूचना के अनुसार)	अ) आरक्षित मूल्य ब) धरोहर राशि स) बिड वृद्धि राशि द) ई नीलामी दिनांक एवं समय
1. शाखा : कटरा बाजार सागर/ कटनी (म.प्र.) **मैसर्स पी.जी. इंडस्ट्रीज (श्रीमती हर्षा कुकरेजा पति पंकज कुकरेजा)** **पता–** मकान नंबर 20, नरसमल गली, संत कवर राम वार्ड, जिला-सागर म.प्र.	संपत्ति के समस्त भू भाग व अंश भूमि एवं भवन प्लॉट नंबर 9, 10, 7 और 11 का भाग, सेक्टर एस, सिधगुआ औद्योगिक क्षेत्र, मौजा-केरबाना, सर्कल-परसोरिया, सागर, क्षेत्रफल 11056.08 वर्ग मीटर, **चतुर्सीमा: पूर्व –** प्लॉट नंबर 8 और 12, **पश्चिम –** सड़क और उसके बाद एमपीईबी सब-स्टेशन, **उत्तर –** ट्रक पार्किंग के लिए खुली जगह, **दक्षिण –** एमपीआईडीसी सर्विस रोड, **नोट:** सिधगुआ औद्योगिक क्षेत्र, सागर में प्लॉट 11 का एक हिस्सा, क्षेत्रफल 3500 वर्ग मीटर। एमपीआईडीसी द्वारा लीज पर दिया गया (डीड नंबर MP33712020A1001314, दिनांक 01.01.2020), **मालिक:** श्री ज्ञानचंद कुकरेजा	अ) 26.04.2023 ब) 23.08.2023 स) सांकेतिक द) ₹3,88,75,538.18 + ब्याज़ एवं अन्य व्यय	अ) 3,44,58,000/- ब) 34,45,800/- स) 50,000/- द) 26.11.2026
2. शाखा : कटरा बाजार सागर/ कटनी (म.प्र.) **1. मेसर्स हरिओम ट्रेडर्स (श्रीमती पुष्पा देवी कुकरेजा), पता–** मकान नंबर 20, नरसमल गली, संत कवर राम वार्ड, जिला- सागर म.प्र. **2. श्रीमती पुष्पा देवी कुकरेजा पति ज्ञानचंद कुकरेजा (प्रोप), पता–** मकान नंबर 20, नरसमल गली, संत कवर राम वार्ड, जिला- सागर म.प्र. **3. श्री ज्ञानचंद कुकरेजा (जमानतदार), पता–** मकान नंबर 20, नरसमल गली, संत कवर राम वार्ड, जिला- सागर म.प्र. **4. श्री राजकुमार कुकरेजा (जमानतदार), पता–** मकान नंबर 20, नरसमल गली, संत कवर राम वार्ड, जिला- सागर म.प्र. **5. श्री पंकज कुकरेजा (जमानतदार), पता–** मकान नंबर 20, नरसमल गली, संत कवर राम वार्ड, जिला- सागर म.प्र.	**1.** व्यवसायिक भूमि एवं भवन 106/1, 106/2 पीएच नं. 77 (नया 65), क्षेत्रफल 1086.50 वर्ग फुट, वार्ड नं. 27, मौजा सागर खास, कटरा बाजार, सागर - म.प्र., **चतुर्सीमा: पूर्व–** ज्ञानचंद कुकरेजा का प्लॉट और दुकान, **पश्चिम–** सड़क, **उत्तर –** सड़क और उसके बाद पिंजमल का बाजार, **दक्षिण –** ऋषभ जैन का घर, **मालिक:** श्रीमती पुष्पा कुकरेजा	अ) 29.11.2023 ब) 29.01.2024 स) सांकेतिक द) ₹3,21,12,817.68 + ब्याज़ एवं अन्य व्यय	अ)1,80,02,000/- ब) 18,00,200/- स) 25,000/- द) 26.11.2026
	2. व्यावसायिक दो मंजिला भवन की छत पहली मंजिल की छत दो मंजिला मकान (पहली मंजिल के उपर) की खुली छत का पूरा हिस्सा, जो खसरा नंबर 106/1, 106/2, पीएच नंबर 77 (नया 65), वार्ड नंबर 27, मौजा सागर (म.प्र.) में स्थित, क्षेत्रफल 1650 वर्ग फुट, **चतुर्सीमा: पूर्व –** जैन का मकान, **पश्चिम –** पुष्पा कुकरेजा, **उत्तर –** नरेंद्र जैन का मकान, **दक्षिण –** ज्ञानचंद कुकरेजा का मकान		अ) 1,33,84,000/- ब) 13,38,400/- स) 25,000/- द) 26.11.2026
3. शाखा : माधवगंज विदिशा (म.प्र.) **1. श्री प्रदीप राठौड़ पिता नन्नूलाल राठौड़ (बंधककर्ता)** **2. श्री नन्नूलाल राठौड़ पिता श्री दयाराम राठौड़ (बंधककर्ता)** **पता–** प्लॉट क्रमांक 293/294, अरिहंत विहार कॉलोनी, फेस-01, वार्ड क्रमांक 04, तहसील एवं जिला-विदिशा (म.प्र.)	**1.** अचल संपत्ति के समस्त भू भाग व अंश मकान, प्लॉट नंबर 293, अरिहंत विहार कॉलोनी, फेज-01, वार्ड नंबर 04, तहसील और जिला - विदिशा (म.प्र.), क्षेत्रफल 111.52 वर्ग मीटर, **चतुर्सीमा: पूर्व:** प्लॉट नंबर 292, **पश्चिम:** प्लॉट नंबर 294, **उत्तर:** 25 फीट चौड़ी सड़क, **दक्षिण:** प्लॉट नंबर 283	अ) 25.05.2023 ब) 12.09.2023 स) सांकेतिक द) ₹1,57,16,847.90 + ब्याज़ एवं अन्य व्यय	अ) 1,21,86,000/- ब) 12,18,600/- स) 25,000/- द) 26.11.2026
	2. अचल संपत्ति के समस्त भू भाग व अंश मकान, प्लॉट नंबर 294, अरिहंत विहार कॉलोनी, फेज-01, वार्ड नंबर 04, तहसील और जिला - विदिशा (म.प्र.), क्षेत्रफल - 111.52 वर्ग मीटर, **चतुर्सीमा: पूर्व–** प्लॉट नंबर, 283, **पश्चिम –** प्लॉट नंबर 294, **उत्तर –** 25 फीट चौड़ी सड़क, **दक्षिण –** प्लॉट नंबर 283		
4. शाखा : शहडोल रोड, कटनी (म.प्र.) **उधारकर्ताः मेसर्स प्रिया सेल्स, पार्टनर्सः 1) श्री शैलेंद्र गौर पिता श्री श्याम सुंदर गौर (पार्टनर, बंधककर्ता और जमानतदार), 2) श्री अंकुर गौर पिता श्री श्याम सुंदर गौर (पार्टनर, बंधककर्ता और जमानतदार), 5) श्री पीयूष गौर पिता श्री श्याम सुंदर गौर (बंधककर्ता और जमानतदार)** **पताः** मेसर्स प्रिया सेल्स, **अ)** होटल सेलिब्रेशन के पास, गर्ग चौराहा, हनुमान गंज, कटनी -483501 (म.प्र.), **ब)** श्याम कुंज, हनुमान गंज, कटनी -483501 (म.प्र.)	अचल संपत्ति के समस्त भू-भाग व अंश व्यवसायिक परिवर्तित उस पर निर्माण गाँव- मुरवारा, म्युनिसिपल हाउस नंबर 316, खसरा नंबर 1344/7 पी.एच. नंबर 43/45/2 एन.बी. 493 मुरवारा, गर्ग चौराहा के पास, हनुमान गंज वार्ड, वर्तमान में रघुनाथ गंज, कटनी। कुल क्षेत्रफल- 780 वर्ग फुट, निर्मित क्षेत्रफल- ग्राउंड फ्लोर क्षेत्रफल 590 वर्ग फुट, फर्स्ट फ्लोर क्षेत्रफल 780 वर्ग फुट, सेकंड फ्लोर क्षेत्रफल 780 वर्ग फुट, थर्ड फ्लोर क्षेत्रफल 780 वर्ग फुट, टाइटल डीड नंबर 09 दिनांक 03.04.2010, **चतुर्सीमा: उत्तर:** शहडोल रोड, **दक्षिण:** राम नारायण उर्फ राम त्रिपाठी का मकान, **पूर्व:** राम नारायण उर्फ राम त्रिपाठी की संपत्ति, **पश्चिम:** संतोष सिंह चौहान की संपत्ति	अ) 29.09.2025 ब) 31.12.2025 स) सांकेतिक द) ₹3,47,05,885.96 + ब्याज़ एवं अन्य व्यय	अ)1,94,00,000/- ब) 19,40,000/- स) 25,000/- द) 26.11.2026
5. शाखा : शहडोल रोड, कटनी (म.प्र.) **उधारकर्ताः मेसर्स प्रिया सेल्स, पार्टनर्सः 1) श्री अंकुर गौर पिता श्री श्याम सुंदर गौर (पार्टनर, बंधककर्ता और जमानतदार), 2) श्री अंकुर गौर पिता श्री श्याम सुंदर गौर (पार्टनर, बंधककर्ता और जमानतदार), 3) श्री पीयूष गौर पिता श्री श्याम सुंदर गौर (बंधककर्ता और जमानतदार)**, पताः मेसर्स प्रिया सेल्स, **अ)** होटल सेलिब्रेशन के पास, गर्ग चौराहा, हनुमान गंज, कटनी -483501 (म.प्र.), **ब)** श्याम कुंज, हनुमान गंज, कटनी -483501 (म.प्र.)	बंधक अचल संपत्ति के समस्त भू-भाग व अंश व्यवसायिक परिवर्तित उस पर निर्माण ग्राम- मुरवारा, नगरपालिका एच नंबर 316, ख नंबर 1344/7 पीएच नंबर 43 एन.बी. 493 मुरवारा, गर्ग चौराहा के पास, हनुमान गंज वार्ड वर्तमान में रघुनाथ गंज, कटनी, जीएफ शॉप क्षेत्र 190 वर्ग फीट, टाइटल डीड नं. 190 वर्ग फीट, **चतुर्सीमा: पूर्व:** वेंडर का गलियारा, **पश्चिम:** संतोष सिंह की संपत्ति, **उत्तर:** शहडोल रोड, **दक्षिण:** मालिक की संपत्ति		अ) 60,56,000/- ब) 6,05,600/- स) 50,000/- द) 26.11.2026
6. शाखा : शहडोल रोड, कटनी (म.प्र.) **उधारकर्ताः मेसर्स प्रिया सेल्स, पार्टनर्सः 1) श्री शैलेंद्र गौर पिता श्री श्याम सुंदर गौर (पार्टनर, बंधककर्ता और जमानतदार), 2) श्रीमती शकुंतला गौर उर्फ शकुंत गौर पति श्री श्याम सुंदर गौर (पार्टनर, बंधककर्ता और जमानतदार)** **पताः** मेसर्स प्रिया सेल्स, **अ)** होटल सेलिब्रेशन के पास, गर्ग चौराहा, हनुमान गंज, कटनी -483501 (म.प्र.), **ब)** श्याम कुंज, हनुमान गंज, कटनी -483501 (म.प्र.)	**1.** अचल संपत्ति के समस्त भू-भाग व अंश परिवर्तित भूमि उस पर गांव खिरहानी, डायवर्जन ख 1486, म्यूटेशन के बाद खसरा नंबर 1486/6, एन.बी. नंबर 407, पी.एच. नंबर 44, मंडल मुरवारा कटनी, क्षेत्रफल 0.004 हेक्टेयर (480 वर्ग फुट), टाइटल डीड नंबर 2742, जो 29.09.1995 को रजिस्टर्ड, **चतुर्सीमा: उत्तर:** 20 फीट चौड़ी सड़क, **दक्षिण:** गणेश, बड़गैयां की संपत्ति, **पूर्वः** विक्रेता की संपत्ति, **पश्चिम:** संतोष तिवारी की संपत्ति **2.** अचल संपत्ति के समस्त भू-भाग व अंश परिवर्तित भूमि उस पर ग्राम खिरहनी, ख नं 1484/2/2, डायवर्सन ख 1484/2/ख, एनबी नं 407, पीएच नं.44, मंडल मुरवारा कटनी, क्षेत्रफल 0.050 हेक्टेयर, स्वामित्व विलेख सं. 2281 दिनांक 25.08.1995, **चतुर्सीमा: उत्तर:** श्रीमती सीतादेवी चौदाहा की भूमि, **दक्षिण:** श्रीमती कुसुमबाई बडगैयाँ की भूमि, **पूर्व:** धनीराम बडगैयाँ और गोपाल गुप्ता की भूमि, **पश्चिम:** प्रेमलाल पांडे की भूमि		अ)37,74,000/- ब) 3,77,400/- स) 25,000/- द) 26.11.2026

संपत्तियों पर भार जिनकी जानकारी प्रतिभूत लेनदार को है: जानकारी उपलब्ध नहीं है

सरफेसी अधिनियम 2002 व प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) एवं 9(1) के अंतर्गत वैधानिक विक्रय सूचना

नियम एवं शर्तें : (1) विक्रय प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियम, 2002के नियम व शर्तों के अधीन होगा तथा निम्नलिखित शर्तों का पालन करना होगा। **(2)** संपत्तियों की बिक्री **''जो है, ''जहाँ है'', ''जो कुछ भी है'' के आधार** पर होगी। **(3)** ऊपर वर्णित संपत्तियों का विवरण प्राधिकृत अधिकारी को प्राप्त जानकारी के आधार पर है।किन्तु प्राधिकृत अधिकारी किसी भी त्रुटि, गलत जानकारी, घोषणा में चूक के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। **(4)** विक्रय अधिकृत ऑन लाइन ई-नीलामी सेवा प्रदाता के द्वारा वेबसाइट **https://baanknet.com** पर दिये गये दिनांक व समय पर किया जाएगा। **(5)** संपत्ति विक्रय से संबंधित नियम एवं शर्तों के लिए कृपया वेबसाइट **www.pnbindia.in, https://baanknet.com** पर विजिट करें।

स्थानः कटनी, दिनांक 03.11.2026 **पंजाब नेशनल बैंक प्राधिकृत अधिकारी**